इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] भोपाल, बुधवार दिनांक 1 अक्टूबर 2014—आश्विन 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

क्र. 4904-256-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 सितम्बर 2014 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १८ सन् २०१४.

दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१३

[दिनांक २३ सितम्बर २०१४ को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अक्टूबर २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१३ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २ सन् १९७४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा २५क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा २५ क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अभियोजन संचालनालय.

"२५ क. (१) राज्य सरकार, एक संचालक, अभियोजन तथा उतनी संख्या में, जितनी कि वह ठीक समझे, अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक, अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन से मिलकर बनने वाला एक अभियोजन संचालनालय स्थापित कर सकेगी.

(२) संचालक, अभियोजन, अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन के पद तथा अन्य पद समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९९१ के अनुसार भरे जाएंगे.

(३) अभियोजन संचालनालय का प्रमुख, संचालक, अभियोजन होगा जो राज्य में गृह विभाग के प्रमुख के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा.

(४) प्रत्येक अतिरिक्त संचालक, अभियोजन, संयुक्त संचालक, अभियोजन, उप संचालक, अभियोजन तथा सहायक संचालक, अभियोजन तथा उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट अन्य पद संचालक, अभियोजन के अधीनस्थ होंगे.

(५) मध्यप्रदेश लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९९१ के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक संचालक, अभियोजन के अधीनस्थ होंगे तथा उच्च न्यायायलय में मामलों का संचालन करने के लिये धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा धारा २४ की उपधारा (८) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक महाधिवक्ता के अधीनस्थ होंगे.

(६) जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिये धारा २४ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा धारा २४ की उपधारा (८) के अधीन नियुक्त प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे.

(७) संचालक, अभियोजन की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.".

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2014

क्र. 4905-256-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2014

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2013.

[Received the assent of the President on the 23rd September, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st October, 2014.]

An Act further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into, force on the date of its publication in the official Gazette.

Amendment of Central Act No. 2 of 1974 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) (hereinafter referred to as the principal Act), shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Substitution of Section 25A.

3. For Section 25A of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Directorate of Prosecution.

"25A. (1) The State Government may establish a Directorate of Prosecution consisting of a Director of Prosecution and as many Additional Directors of Prosecution, Joint Directors of Prosecution, Deputy Directors of Prosecution and Assistant Directors of Prosecution and such other posts as it thinks fit.

(2) The post of Director of Procecution, Additional Directors of Prosecution, Joint Directors of Prosecution, Deputy Directors of Prosecution and Assistant Directors of Prosecution and other post shall be filled in accordence with the Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, as amended from time to time.

(3) The head of the Directorate of Prosecution shall be the Director of Prosecution, who shall function under the administrative control of the head of the Home Department in the State.

(4) Every Additional Director of Prosecution, Joint Director of Prosecution, Deputy Director of Prosecution and Assistant Director of Prosecution and other posts specified in sub-section (2) shall be subordinate to the Director of Prosecution.

(5) Every Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor appointed under the Madhya Pradesh Public Prosecution (Gazetted) Service Recruitment rules, 1991, shall be subordinate to the Director of Prosecution and every Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor appointed under sub-section (1) of Section 24 and every Special Public Prosecutor appointed under sub-section (8) of Section 24 to conduct cases in the High Court shall be subordinate to the Advocate General.

(6) Every Public Prosecuter and Additional Public Prosecutor appointed under sub-section (3) of Section 24 and every Special Public Prosecutor appointed under sub-section (8) of Section 24 to conduct cases in District Courts shall be subordinate to the District magistrate.

(7) The powers and functions of the Director of Prosecution shall be such as the State Government may, by notification, specify.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.